भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2753
जिसका उत्तर बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन

2753. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सरकार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सुझाव मांगा है, जिसके अनुसार नागरिकों को अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को 12-अंक वाले आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आधार नम्बर, निर्वाचक पहचान कार्ड नम्बर और पैन कार्ड नम्बर युक्त एकल कार्ड जारी करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उपयुक्त कानून/संशोधन लाने पर भी विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली को तैयार करने और प्रविष्टियों के अनुलिपिकरण से बचाव को सुनिश्चित करने के लिए, निर्वाचक डाटा को आधार तंत्र के साथ जोड़ने में समर्थ बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का संशोधन करने का एक प्रस्ताव निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है। यह मामला परीक्षाधीन है।

****